

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020

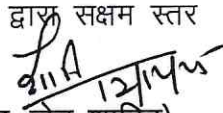
जयपुर, दिनांक:-12.12.2025

::आदेश::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI के बिन्दु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

पेंशनर्स को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार के पेंशनर्स के द्वारा जीवित प्रमाण प्रस्तुत किये जाने की अवधि दिनांक 31.01.2026 तक बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग में आईडी संख्या 592500184 दिनांक 12.12.2025 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी किया जाता है।


(एस. जेड शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
12. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर
13. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
14. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय जयपुर
15. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी
16. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस. जेड शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन)